न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः- चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 103/2021 प्रार्थना पत्र

1. राजेश पिता रामगोपाल, जाति खण्डेलवाल, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
2. नवीन पिता रामगोपाल, जाति खण्डेलवाल, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. VSPG Realties Private Limited जरिये निर्देशक आशीष मंगल पिता कैलाश चन्द मंगल, आयु वयस्क, निवासी 7 स्टेशन रोड़, नीमच जिला नीमच, म.प्र.।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

– विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.</u>

<u>श्री अनुराग ओझा, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित</u>

निर्णय दिनांक 02.02.2022

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण द्वारा घीसालाल पिता गोकल मीणा व देव बाई पत्नी घीसालाल मीणा से ग्राम मांगरोल की आराजी नं. 2960/1980/1148 एवं आराजी नं. 3227/2960/1980/1148 दोनों आराजीयात का क्षेत्रफल 15-15 बिस्वा होकर दोनों आराजीयात में से 1897.58, 1897.58 वर्ग मीटर भूमि तहसीलदार निम्बाहेड़ा से रूपान्तरित करवा कर 6700 वर्ग फीट भूमि प्राथी नं. 1 को घीसालाल मीणा से व 10225.11 वर्गफीट भूमि प्रार्थी संख्या 2 देउबाई पत्नी घीसालाल मीणा से प्रार्थीगणों ने खरीदी। उक्त आराजीयात का भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन सेटलमेन्ट होने के उपरान्त नवीन आराजी नं. 2690/1980/1148 का नवीन आराजी नं. 220मीन पडा तथा इसी प्रकार आराजी नं. 3227/2690/1980/1148 का नवीन आराजी नं. 3350/220 पड़ा। नवीन भू प्रबंध में आराजी नं. 220मीन एवं आराजी नं. 3350/220 को गलत तरीके से विपक्षी संख्या 1 के आराजी नं. 221 की जगह नक्शे में तरमीम कर दिया जबकि मौके पर प्रार्थीगण के दक्षिण में विपक्षी संख्या 1 की आराजीयात है। नवीन नक्शे में गलत तरीके से तरमीम करते हुए प्रार्थीगण की जगह विपक्षी संख्या 1 की आराजी नं. 221 दर्ज कर दी जबकि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 का कब्जा बदस्तुर अपनी क्रयशुदा आराजी पर चला आ रहा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौडगढ़)

है। आराजी नं. 221 का पुराना आराजी नं. 1980/1148 था। कनवर्जन की पत्रावली में मौजुद नक्शे अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 अपनी अपनी भूमि पर बदस्तुर काबिज हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नवीन नक्शा ट्रेस में पूर्व स्थिति अनुसार आराजी नं. 221 की जगह प्रार्थीगण की आराजी नं. 220मीन व 3350/220 शुद्ध की जाये तथा आराजी नं. 220मीन एवं 3350/220 की जगह आराजी नं. 221 शुद्ध की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 मय अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए राजस्व रेकार्ड में संशोधन करने में सहमति प्रकट की है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए संशोधन किया जाना अपेक्षित बताया है तथा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी ने तहसीलदार निम्बाहेड़ा का संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 5/12 दिनांक 27.02.2012, उपखण्ड कार्यालय का संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 118/2011 दिनांक 08.12.2011, नकल जमाबन्दी संवत 2077-80 ग्राम मांगरोल की खाता संख्या 258, 179, 799, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, घीसालाल द्वारा राजेश खण्डेलवाल के नाम किये गये विक्रय पत्र की प्रति, देउ बाई द्वारा नवीन खण्डेलवाल के नाम किये गये विक्रय पत्र की प्रति, मिलान क्षेत्रफल ग्राम मांगरोल की प्रतियां प्रस्तुत की है। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत रेकार्ड एवं भू रुपान्तरण की पत्रावलियों के प्रमाणित रेकार्ड में तथा वर्तमान रेकार्ड में अन्तर है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा भी रेकार्ड में अन्तर स्वीकार करते हुए संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को निम्नलिखित सारिणी एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित अनुसार ग्राम मांगरोल की आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते हैं-

क्र. सं.	वर्तमान प्रविष्ठी			प्रस्तावित संशोधन		
	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार
1	220	0.19	देउ बाई पत्नी घीसालाल मीणा, निवासी पीपलिया	220 3350/220	0.18 (0.14 औद्योगिक व 0.04 बंजड) 0.19 0.14 औद्योगिक व 0.05 बंजड)	श्यामलाल पिता रतना भील, सा. केसुन्दा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

[illegible]	3350/ 220	0.19	घीसालाल पिता गोकल मीणा, सा. पिपलिया	221 में से दक्षिण	0.19	घीसालाल पिता गोकल मीणा, सा. पिपलिया
3	221	0.37 (0.28 औद्योगिक व 0.09 बंजड)	श्यामलाल पिता रता भील, सा. केसुन्दा	221 में से उत्तर	0.19	देउ बाई पत्नी घीसालाल मीणा, निवासी पीपलिया

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 02.02.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

2/2/22

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)